170

1

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

महादेव प्रसाद तनय शिवलाल तिबारी , नि - 3002 - I - 16

निबासी– ग्राम मानकी सलैया, तहसील राहतगढ़, जिला सागर

...............आवेदक

वनाम

रज्जूलाल तनय हल्काई अहिरवार ,

निबासी– ग्राम मानकी सलैया, तहसील राहतगढ़, जिला सागर

.... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी राजस्व निरीक्षक राहतगढ़, मंडल राहतगढ़ द्वारा प्र0क0 13/अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश अदिनांकित में पटवारी हल्का द्वारा किये गये सीमांकन दिनांक 24/06/2016 से परिवेदित होकर कर रहा है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम मानकी सलैया, तहसील राहतगढ़, जिला सागर में आवेदक के नाम से कृषि भूमि स्थित है। जिससे लगकर अनावेदक की खसरा कमांक 10/11 रकवा 0. 500 हैक्टेयर भूमि है। जिसका कागजी सीमांकन दिनांकित 24/06/2016 को पटवारी द्वारा बगैर स्थल पर ज़ाये किया गया, जिसमें पटवारी द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अनावेद्क की भूमि पर आवेदक का कब्जा दिखा दिया। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की ज़ा रही हैं

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3002-एक/2016 जिला- सागर

महादेव प्रसाद विरूद्ध रज्जूलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक राहतगढ़ जिला- सागर के प्रकरण क्रमांक 13/अ-23/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 05-11-19 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	